

<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 39/2025</p>	<p>नम्बर व तारिख म जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए</p>
<p>18-8-2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सवाराम पुत्र श्री निम्बाराम देवासी, खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स मां चामुण्डा नाश्ता एण्ड टी सेन्टर, बस स्टेण्ड, कृष्णगंज, तहसील व जिला- सिरोही, स्थाई पता: रेबारी वास, मामावली, तहसील व जिला- सिरोही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 05-3-2025 को मैसर्स मां चामुण्डा नाश्ता एण्ड टी सेन्टर, बस स्टेण्ड, कृष्णगंज, तहसील व जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सवाराम पुत्र निम्बाराम देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ फीका मावा का नमूना संख्या S-2582 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./886/Act/2025/976 दिनांक 24-3-2025 में अमानक (sub-standard) एवं food containing extraneous matter (foreign fat) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 54 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 08-8-2025 को प्रतिवादी सवाराम ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है व जिस अवस्था में मिल्क केक खरीदा था उसी अवस्था में विक्रय किया है, इसमें मैंने मिलावट नहीं की है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु दिनांक 05-3-2025 को समय 6-00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स मां चामुण्डा नाश्ता एण्ड टी सेन्टर, बस स्टेण्ड, कृष्णगंज, तहसील व जिला- सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी सवाराम पुत्र श्री निम्बाराम देवासी उपस्थित मिले। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मां चामुण्डा नाश्ता एण्ड टी सेन्टर, बस स्टेण्ड, कृष्णगंज के निरीक्षण के दौरान मैसर्स मां चामुण्डा नाश्ता एण्ड टी सेन्टर, बस स्टेण्ड, कृष्णगंज की दुकान के अन्दर डिप फ्रिज में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ फीका मावा लगभग 10 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ फीका मावा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता सवाराम पुत्र श्री निम्बाराम देवासी को गवाह श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं</p> <p>.....लगातार</p>	



मा. जिला अधिकारी
सिरोही-397001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 39/2025	नम्बर व तारिख काम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	<p>स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष भरकर दी तथा फर्म मैसर्स मां चामुण्डा नाश्ता एण्ड टी सेन्टर, बस स्टेण्ड, कृष्णगंज की दुकान में डीप फ्रिज में आम जन के विक्रय हेतु रखे हुए लगभग 10 किलोग्राम फीका मावा में से 01 (एक) किलोग्राम फीका मावा को साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/- (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता सवाराम को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खदीदशुदा फीका मावा को चार साफ व खाली सुखी शीशीयों में अलग अलग बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 20-20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) के कोड एवं क्रमांक S-2582, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ फीका मावा आदि अंकित कर इन लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता सवाराम एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा उक्त चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् चारों सीलबन्द नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता सवाराम एवं गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06-3-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 05-3-2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स मां चामुण्डा नाश्ता एण्ड टी सेन्टर, बस स्टेण्ड कृष्णगंज में प्रतिवादी विक्रेता सवाराम पुत्र निम्बारां देवासी से खाद्य पदार्थ फीका मावा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	



महि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.

तारिख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
F.S.S.Act Case No. 39/2025

नम्बर व
तारिख
उक्त हुक्म जो
इस हुक्म की
तामिलमें
जारी हुए

अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ फीका मावा के नमूना संख्या S-2582 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./886/Act/2025/976 दिनांक 24-3-2025 में खाद्य पदार्थ फीका मावा का नमूना अमानक (sub-standard) एवं food containing extraneous matter (foreign fat) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी सवाराम पुत्र श्री निम्बाराम देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स मैसर्स मां चामुण्डा नाश्ता एण्ड टी सेन्टर, बस स्टेण्ड, कृष्णगंज द्वारा अमानक (sub-standard) एवं food containing extraneous matter (foreign fat) खाद्य पदार्थ फीका मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 54 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 54 के तहत अमानक (sub-standard) एवं food containing extraneous matter (foreign fat) खाद्य पदार्थ फीका मावा के विक्रय हेतु प्रतिवादी मैसर्स मां चामुण्डा नाश्ता एण्ड टी सेन्टर, बस स्टेण्ड, कृष्णगंज, तहसील व जिला-सिरोही, स्थाई पता: रेबारीवास, मामावली, तहसील व जिला- सिरोही पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी सवाराम पुत्र श्री निम्बाराम देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स मां चामुण्डा नाश्ता एण्ड टी सेन्टर, बस स्टेण्ड, कृष्णगंज को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23-9-2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

जि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

